

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1754/2013/श्रीगंगानगर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर).

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गौरव ट्रेडर्स, न्यू धान मण्डी, अनूपगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 485/आरवैट/रायसिंहनगर/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि आलौच्य अवधि के ट्रेडिंग अकाउण्ट में सरसों का रूपये 2,68,319/- का प्रारम्भिक स्टॉक बताया गया है जबकि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 की पत्रावली के अवलोकन पर अन्तिम स्टॉक शून्य था इस तरह रूपये 2,68,319/- का प्रारम्भिक स्टॉक प्रकट होना संदेहास्पद पाया गया तथा प्रथम तिमाही में प्रस्तुत वैट-07 के अनुसार रूपये 1,27,800/- की खरीद घोषित थी लेकिन प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट में वो खरीद नहीं दर्शाई जाना पाये जाने से कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त 1,27,800/- की खरीद एवं बताये गये प्रारम्भिक स्टॉक रूपये 2,68,319/- को छिपाया जाना बताकर कुल रूपये 3,96,119/- पर 4 प्रतिशत से कर रूपये 15,845/- एवं वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 31,690/- एवं अनुवर्ती ब्याज रूपये 4755/-

लगातार.....2

आरोपित किया गया जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के ट्रेडिंग अकाउण्ट एवं वैट-07ए तथा घोषित बिक्री पर किये गये करारोपण के सन्दर्भ में लेखा-पुस्तकों की जांच की एवं उनके समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में प्रारम्भिक स्टॉक रूपये 2,68,319/- नहीं था बल्कि वह उस वर्ष की खरीद थी जिसमें रूपये 1,27,800/- की खरीदी सम्मिलित थी तथा इस खरीद राशि को ही वापस विक्रय किया गया है इस तरह किसी भी तरह की खरीद छिपाने का कोई प्रकरण नहीं बनता था अतः इस तथ्य की जांच के पश्चात् अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त करारोपण को अपास्त कर दिया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का विरोध किया और कथन किया कि उनके द्वारा जांच नहीं कर मामले को कर निर्धारण अधिकारी को भिजवाया जाना चाहिये था।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. मेरे द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का एवं ट्रेडिंग अकाउण्ट का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी को वर्ष 2007-08 में अन्तिम स्टॉक 'निल' होने एवं प्रारम्भिक स्टॉक 2008-09 में बताने से संदेह उत्पन्न हुआ तब उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु व्यवहारी द्वारा कोई जवाब नहीं देने से उनके द्वारा ट्रेडिंग अकाउण्ट में दर्शाये गये माल को छिपाया हुआ माना एवं वैट-07 में खरीद को अतिरिक्त मानते हुए उसको भी छिपाया हुआ माना एवं उस पर कर आरोपित कर दिया एवं एकपक्षीय आदेश पारित किया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर व्यवहारी द्वारा बहियात की वास्तविक स्थिति बता दी एवं कर निर्धारण अधिकारी के संदेह के आधार पर जो अभियोग बनाया गया था उसका निवारण कर दिया गया, जो पूर्णतया उचित प्रतीत होता है क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही पहली बार व्यवहारी द्वारा वास्तविक स्थिति बताई जा सकी थी एवं इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि व्यवहारी द्वारा अपनी खरीद को केवल ट्रेडिंग अकाउण्ट में प्रारम्भिक स्टॉक की जगह उसे गलती से बताया गया एवं जो खरीद पूरी बताई गई उसी पर ट्रेडिंग अकाउण्ट में विक्रय बताया गया है एवं इस वर्ष की खरीद रूपये 3.96 लाख पर आई.टी.सी. का क्लेम भी व्यवहारी द्वारा लिया गया था। अपीलीय अधिकारी के समक्ष समस्त स्थिति स्पष्ट होने पर तथ्यात्मक रूप से त्रुटि का समाधान हो जाने से कर निर्धारण आदेश में अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया है


लगातार.....3

वह पूर्णतया उचित है क्योंकि तथ्यों के प्रकाश में यह न्यायिक रूप से अनिवार्य था अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. इस प्रकरण में यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि ऐसे स्पष्ट, विधिपूर्ण एवं तथ्यात्मक आधार पर किये गये अपीलीय आदेश के विरुद्ध जो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित निर्णय था, उसके विरुद्ध द्वितीय अपील किये जाने का निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अपेक्षित विचार नहीं किया गया है जिससे यह निरर्थक Litigation किया गया है।

7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य